

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-19/2016-

157 आवंटन/कृ., पटना, दिनांक 16/01/2017

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी/नवादा/मधेपुरा।

विषय : बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत **Vegetable Initiative for urban clusters (VIUC)** कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रांश मद 540.00 लाख रु० (पाँच करोड़ चालीस लाख रु०) एवं राज्यांश मद 360.00 लाख रु० (तीन करोड़ साठ लाख रु०) कुल 900.00 लाख रु० (नौ करोड़ रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5214 दिनांक-14.12.2016 द्वारा बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत **Vegetable Initiative for urban clusters (VIUC)** कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रांश मद 540.00 लाख रु० (पाँच करोड़ चालीस लाख रु०) एवं राज्यांश मद 360.00 लाख रु० (तीन करोड़ साठ लाख रु०) कुल 900.00 लाख रु० (नौ करोड़ रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹4,48,20,000 (चार करोड़ अड़तालीस लाख बीस हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0216-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड-P2401001090216, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹86,40,000 (छियासी लाख चालीस हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड-P2401007890203, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹5,40,000 (पाँच लाख चालीस हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0231- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड-P2401007960231, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से राज्यांश मद का ₹2,98,80,000 (दो करोड़ अन्तानवे लाख अस्सी हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0316- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड-P2401001090316, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से राज्यांश मद का ₹57,60,000 (सन्तावन लाख साठ हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0303- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड-P2401007890303, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से राज्यांश मद का ₹3,60,000 (तीन लाख साठ हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0331- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड-P2401007960331, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विषयशीर्ष-31 06 -सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

11. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

12. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

13. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

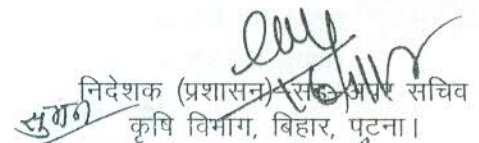
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 16/01/2017

ज्ञापांक 157 आवंटन

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



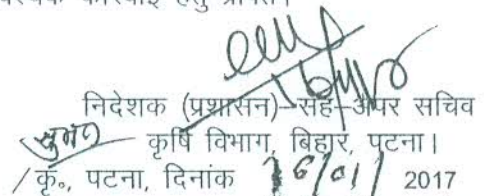
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 16/01/2017

ज्ञापांक 157 आवंटन

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभीकरण (आत्मा)/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



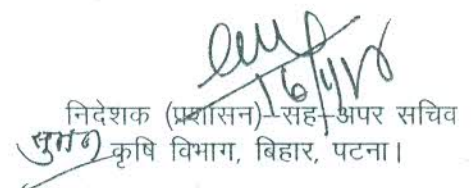
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 16/01/2017

ज्ञापांक - 157 आवंटन

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5214 दिनांक-14.12.2016 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि का आवंटन विवरणी।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5214 दिनांक-14.12.2016 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि का आवंटन विवरणी।

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि रु० में								वर्तमान आवंटित राशि (राशि रु० में)								कुल योग
		केन्द्रांश				राज्यांश				केन्द्रांश				राज्यांश				
		विपत्र कोड P240100 1090216	विपत्र कोड P240100 7890203	विपत्र कोड P240100 7960231	योग	विपत्र कोड P240100 1090316	विपत्र कोड P240100 7890303	विपत्र कोड P240100 7960331	योग	विपत्र कोड P240100 1090216	विपत्र कोड P240100 7890203	विपत्र कोड P240100 7960231	योग	विपत्र कोड P240100 1090316	विपत्र कोड P240100 7890303	विपत्र कोड P240100 7960331	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	1,74,20,438	33,58,157	2,09,885	2,09,88,480	1,16,13,626	22,38,771	1,39,923	1,39,92,320	1,74,20,438	33,58,157	2,09,885	2,09,88,480	1,16,13,626	22,38,771	1,39,923	1,39,92,320	3,49,80,800
2	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	1,49,46,026	28,81,162	1,80,072	1,80,07,260	99,64,017	19,20,774	1,20,049	1,20,04,840	1,49,46,026	28,81,162	1,80,072	1,80,07,260	99,64,017	19,20,774	1,20,049	1,20,04,840	3,00,12,100
3	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	1,24,53,536	24,00,681	1,50,043	1,50,04,260	83,02,357	16,00,455	1,00,028	1,00,02,840	1,24,53,536	24,00,681	1,50,043	1,50,04,260	83,02,357	16,00,455	1,00,028	1,00,02,840	2,50,07,100
कुल		4,48,20,000	86,40,000	5,40,000	5,40,00,000	2,98,80,000	57,60,000	3,60,000	3,60,00,000	4,48,20,000	86,40,000	5,40,000	5,40,00,000	2,98,80,000	57,60,000	3,60,000	3,60,00,000	9,00,00,000
कुल-(नौ करोड़ रु०) मात्र।																		

कुल-(नौ करोड़ रु०) मात्र।

(प्रम. राम)
16/11/18

निदेशक प्रशासन-सह- अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।